

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-प-11(01)प्रशि./पॉलिसी/2024/8665

दिनांक:- 19.11.2024

स्थायी आदेश संख्या :- 11 / 2024

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27 (3) के तहत हैड कानिस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों को पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम कराने हेतु स्थायी आदेश संख्या 12/2021 के द्वारा 45 दिवस का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

वर्तमान में विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थायी आदेश के अधिक्रमण में हैड कानिस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पद की वर्ष 2024-25 में आयोजित होने वाले समस्त बैचों के लिए प्रशिक्षण अवधि 30 दिवस करते हुए पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

संगलन:-उपरोक्तानुसार



(यू० आर० साहू)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/एससीआरबी, साईबर क्राईम एवं तकनीकी सेवाएं (दूरसंचार एवं तकनीकी)/इन्टेलीजेंस, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मय जीआरपी, अजमेर/जोधपुर।
7. कमाण्डेंट, आरपीटीसी, जोधपुर/किशनगढ़।
8. कमाण्डेंट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर/खैरवाड़ा/झालावाड़/बीकानेर/अलवर/भरतपुर/सिलोरा/पीएमडीएस बीकानेर।
9. कमाण्डेंट पुलिस कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर।
10. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।



अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान पुलिस
हैड कानिस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1	कुल अवधि	30 दिन
2	राजपत्रित अवकाश (रविवार एवं द्वितीय शनिवार)	04 दिन
3	फायरिंग एवं आउटडोर परीक्षा	01 दिन
4	इण्डोर परीक्षा	02 दिन
5	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध दिन	23 दिन
6	अन्तरंग प्रशिक्षण के लिए कालांश (प्रतिदिन 04 एवं शनिवार को 02 कालांश) (20X04 + 03X02) (प्रति कालांश 75 मिनिट)	86 कालांश
7	बहिरंग प्रशिक्षण लिए कालांश 23X03	69 कालांश
8	खेल कालांश 23X01	23 कालांश

नोट :- प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 दिवस का होगा। इस अवधि में राजपत्रित अवकाश अथवा कानून व्यवस्था ड्यूटी आने पर तदनुसार उतने दिन तक की प्रशिक्षण समयावधि बढ़ाई जाएगी।

इण्डोर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रश्न पत्र	विषय	कालांश	पूर्णांक
प्रथम	वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी एवं अनुसंधान	26	100
द्वितीय	विविध अधिनियम एवं निरोधात्मक कार्यवाही	20	100
तृतीय	पुलिस थाना/पुलिस लाईन/विभिन्न कार्यालयों की कार्यप्रणाली एवं सामयिक विषय	20	100
चतुर्थ	कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं सीसीटीएनएस प्रणाली	20	100
	कुल	86	400

आउटडोर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रश्न पत्र	विषय	कालांश	पूर्णांक
प्रथम	शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल एवं भीड़ नियंत्रण	23	100
द्वितीय	ड्रिल, टेक्टिस ऑपरेशन एवं भीड़ नियंत्रण	23	100
तृतीय	शस्त्र प्रशिक्षण, एवं मस्केट्री	23	100
	कुल	69	300

आन्तरिक मूल्यांकन (50 अंक)

क्र.सं.	विषय एवं संदर्भ
1	प्रशिक्षण गतिविधियों में भागीदारी एवं रुचि
2	अनुशासन

इण्डोर प्रथम प्रश्न पत्र
वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी एवं अनुसंधान

पूर्णांक 100
कालांश 26

मॉड्यूल एक – वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी –

12 कालांश

अ – भारतीय न्याय संहिता, 2023

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	धारा 2 (महत्वपूर्ण परिभाषाएं), 3(5), 13, 14 से 44	1
2	धारा 45 से 57, 61(1), 61(2), 189 से 190, 196, 199, 200	2
3	धारा 298 से 302, 114 से 119, 121(1), 132, 79, 62	2

ब – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	परिभाषाएं, धारा 35 से 62	2
2	लोक शान्ति संबंधी प्रावधान 125 से 144, 148 से 171	1
3	धारा 103 से 106, 478 से 483, 513 से 519	1

स – भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	परिभाषाएं, धारा 2, 21 से 23	1
2	धारा 39 से 41, 62 से 64, 117, 118, 120, 124 से 139, 162, 163	1
	पुराने एवं नवीन आपराधिक कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन	1

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की जानकारी माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र/स्थायी आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जाए।

मॉड्यूल-दो-अनुसंधान :- सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक

कालांश- 14

अ – अनुसंधान (विधिक प्रावधान)

कालांश-02

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 173 से 196, 335, 84, 85

ब – व्यावहारिक कार्य

कालांश-02

अनुसंधान का व्यावहारिक कार्य – प्रथम सूचना रिपोर्ट, कार्यवाही पुलिस, घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्य संकलन, सबूतों की सुरक्षा, नक्शा मौका, बयान, पंचायतनामा, फर्द गिरफ्तारी, केस डायरी, सफीना, रिमाण्ड, अंतिम रिपोर्ट।

स – विभिन्न प्रकरणों का अनुसंधान

1. महिलाओं के विरुद्ध यौन शोषण व छेड़छाड़

कालांश-02

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74 से 78, 63 से 71, 85, 351, 79
- पीडिता के बयान लेखबद्ध करना, चिकित्सकीय परीक्षण करवाना, 183 बीएनएसएस के कथन लेखबद्ध करवाना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही।
- मारपीट एवं बलवा प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।

2. सड़क दुर्घटना प्रकरण

कालांश-01

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा- 281, 106, 125
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 133, 134 का नोटिस तैयार करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही।
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।

3. मारपीट व बलवा प्रकरण

कालांश-01

- भारतीय न्याय संहिता की धारा— 115 से 119, 124 से 127, 189 से 196
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 26 मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- मारपीट एवं बलवा प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।

4. राजकार्य में बाधा प्रकरण

कालांश -01

- भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 221, 121, 132 एवं पीडीपीपी एक्ट
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना

5. चोरी, नकबजनी आदि प्रकरणों का अनुसंधान

कालांश-01

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा— 303, 305, 308, 317
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा— 23, फर्द इत्तला, फर्द बरामदी तैयार करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- चोरी/नकबजनी प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।

6. धोखाधड़ी एवं फर्जी दस्तावेज प्रकरण

कालांश-01

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा— 318 एवं 335 से 340
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही।
- विवादग्रस्त एवं विवाद रहित दस्तावेज प्राप्त करना।
- नमूना लेख प्राप्त करना एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाना।
- भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर विश्लेषण करना।
- कूटरचित दस्तावेजों का अनुसंधान एवं राजस्व अधिकारियों से समन्वय।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।

7. आत्महत्या का प्रयास एवं दुष्प्रेरण

कालांश-01

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 45 से 54 एवं 108
- घटनास्थल का निरीक्षण एवं साक्ष्य एकत्रित करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।

8. अपहरण एवं व्यपहरण

कालांश-01

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137 से 140, 87, 96, 141, 142
- एफएसएल विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करना।
- घटनास्थल का निरीक्षण एवं साक्ष्य एकत्रित करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।

9. मर्ग की कार्यवाही

कालांश – 01

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा— 194 से की जानकारी।
- मर्ग की संपूर्ण पत्रावली तैयार करना।
- तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना

इण्डोर द्वितीय प्रश्न पत्र
विविध अधिनियम एवं निरोधात्मक कार्यवाही

पूर्णांक:-100

कालांश-20

मॉड्यूल – एक – विविध अधिनियम

कालांश-12

1. आबकारी अधिनियम

कालांश-02

- राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 धारा 16, 19, 47, 54, 54ए, 66, 66ए
- कार्यवाही हेतु शराब की न्यूनतम मात्रा।
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना।
- सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।

2. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 कालांश – 02

- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं नियम, 2016 की जानकारी।
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना।
- सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।

3. लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम, 1963

कालांश – 01

- महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी।
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना।
- सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।

4. शस्त्र अधिनियम

कालांश – 02

- शस्त्र अधिनियम-1959 धारा- 3, 4, 25, 27, 30, 39
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना।
- सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।

5. राजस्थान समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 2006 कालांश – 01

- अधिनियम के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना।
- इस्तगासा बनाना।

6. अन्य अधिनियमों की जानकारी

कालांश— 04

- एनडीपीएस एक्ट, 1985
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम मय नवीनतम संशोधन।
- राजस्थान जुआ अध्यादेश, 1949
- ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम।
- मोटर वाहन अधिनियम।
- धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम।
- राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम, 1995
- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा— 1 से 4 तथा 36
- पशु कूरता अधिनियम 1960 धारा— 2, 11, 13, 20 एवं 26
- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005

मॉड्यूल – दो – निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश – 08

अ – परिशान्ति व सदाचार बनाये रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश – 04

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा— 125 से 129, 135, 141, 170
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा— 126 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा— 127 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।
4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा— 128 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।
5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा— 129 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।
6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा— 141 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।
7. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा— 170 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा- 148 से 151, परिस्थितियां एवं की जाने वाली कार्यवाही
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा- 163, परिस्थितियां एवं की जाने वाली कार्यवाही, निषेधाज्ञा उल्लंघन करने पर 208 भारतीय न्याय संहिता में कार्यवाही
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा- 152, परिस्थितियां एवं की जाने वाली कार्यवाही
4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा- 164 व 165, परिस्थितियां एवं की जाने वाली कार्यवाही
5. गुण्डा एक्ट एवं एच ओ एक्ट के प्रमुख प्रावधान एवं कार्यवाही।
6. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की जानकारी एवं कार्यवाही।
7. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 94 के अन्तर्गत नोटिस एवं धारा 194 एवं 196 के अन्तर्गत इस्तगारा तैयार करना।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की जानकारी माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र/स्थाई आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जाए।

इण्डोर तृतीय प्रश्न पत्र

पुलिस थाना/पुलिस लाईन/विभिन्न कार्यालयों की कार्यप्रणाली एवं सामयिक विषय

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 20

मॉड्यूल – एक – थाना प्रबन्धन एवं संचालन

कालांश – 12

अ—विधिक प्रावधान

कालांश – 06

- राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.64 में प्रदत्त मुख्य आरक्षी की शक्तियां, ड्यूटी, अधिकार एवं कार्यक्षेत्र आदि।
- राजस्थान पुलिस एक्ट, 2007 धारा— 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 55, 59, 60
- राजस्थान पुलिस नियम, 2008— सामान्य जानकारी।
- लोकसेवा गारण्टी अधिनियम, 2012 परिचय, सामान्य जानकारी।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम व अपील) नियम – 1958 नियम 14, 15, 16, 17, 19

ब—दैनिक कार्यवाही

कालांश – 04

- रोजनामचा लेखन, ड्यूटी लगाना, रोलकॉल की उपयोगिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना।
- सूचना डेस्क, महिला डेस्क।
- केस ऑफिसर स्कीम, हार्ड कोर स्कीम, सी0एल0जी।
- सर्विस, पासपोर्ट, हथियार लाईसेन्स सत्यापन।
- गश्त, नाकाबन्दी, पुलिस रेसपोन्स टाईम, यातायात नियन्त्रण तथा सड़क सुरक्षा के उपाय (जिम्मेदार विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, दुर्घटना के कारणों का पता लगाना तथा उनका निदान)।
- बीट प्रणाली— सम्पूर्ण बीट वर्क मॉड्यूल, क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, आपराधिक गतिविधियों की जानकारी, बीट में मुखबीर बनाना, क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स, बीट का सर्वे, बीट मैप तैयार करना, सजग पड़ोसी होना, सम्बल योजना, नौकरों का रिकार्ड, सी.पी.ओ., सी.एल.जी. सदस्यों से समन्वय।

- थाने के विभिन्न रिकार्ड का संधारण— रोजनामचा, एफ0आई0आर0, जरायम रजिस्टर, वीसीएनबी, इण्डैक्स रजिस्टर, पर्चा ए व बी का संधारण, एक्वीटल रजिस्टर, सम्मन वारण्ट रजिस्टर व तारीख पेशी रजिस्टर, आवक—जावक रजिस्टर व अन्य रिकार्ड तथा संधारण की उपयोगिता।
- राउडीशीट, हिस्ट्रीशीट के बारे में सम्पूर्ण जानकारी, हिस्ट्रीशीट खोलना व बन्द करना, नोट डालना, अपडेट करना, निगरानी करना, उद्घोषित अपराधी बनाने की प्रक्रिया।

मॉड्यूल – दो – सामयिक विषय

कालांश – 08

अ – पुलिस लाईन/कार्यालयों की कार्यप्रणाली

कालांश – 02

क्र0सं0	विषयवस्तु	कालांश
1.	पुलिस लाईन में सहायक उप निरीक्षक के कार्य। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की शाखाएं एवं कार्य की जानकारी।	01
2.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत्ताधिकारी कार्यालय में रीडर के कार्यों की जानकारी।	01

ब – सामयिक विषय एवं व्यक्तित्व विकास –

कालांश – 02

क्र0सं0	विषयवस्तु	कालांश
1	तनाव प्रबन्धन एवं समय प्रबन्धन पुलिस जनता संबंध एवं पुलिस छवि सुधारने का उपाय	01
2	राजस्थान पुलिस की आदर्श आचार संहिता एवं पुलिस का ध्येय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (केन्द्र एवं राज्य) सामान्य जानकारी –धारा-12,13,14,17,18 मानव अधिकार संरक्षण में पुलिस की भूमिका	01

क्र०सं०	विषयवस्तु	कालांश
1.	आसूचना से अभिप्राय एवं आसूचना संकलन की विधियां वी.आई.पी. सुरक्षा, बी.डी.एस. एवं डॉग स्क्वाड, एण्टी सबोटॉज चैक एवं सुरक्षा उपकरणों की जानकारी	01
2.	किसान, छात्र, श्रमिक व राजनैतिक पार्टियों के आन्दोलन, आतंकवाद एवं साम्प्रदायिकता संबंधी सामान्य जानकारी	01

क्र०सं०	विषयवस्तु	कालांश
1.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभिन्न खण्डों की जानकारी, अपराध अनुसंधान में उपयोगिता, घटनास्थल प्रबन्धन, डी.एन.ए., ब्रेन मैपिंग, नारकोटेस्ट की सामान्य जानकारी, पद चिन्ह, अंगुल चिन्ह उठाना, प्रलेख परीक्षण	01
2.	चोटों के प्रकार, शव परीक्षण, मेडिकल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट	01

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की जानकारी माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र/स्थाई आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जाए।

इण्डोर चतुर्थ प्रश्न पत्र
कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं सीसीटीएनएस प्रणाली

पूर्णांक :-100
कालांश :- 20

Module A :- Basic Knowledge of Computer

कालांश :- 08

1. Basic Idea of Digital devices

- Introduction to various types of Computers, Scanners, Printers & peripherals, Mobile Phones, Storage Devices , CCTV surveillance and other digital equipment used in Information Technology and communications.
- Networking Basics, Concept of LAN and WAN

2. Basic idea of popular operating systems:

- Windows
- Linux (Ubuntu, Centos, RedHat etc.)
- Apple Macintosh (macOS)
- Mobile OS:-Basic Idea of Android, Windows Phone , Apple iOS etc.
- Popular Web Browsing Software and their configuration

3. Common Terms in Computer and Network security

- Virus Threats
- Spyware Threats
- Hackers
- Phishing Threats
- BOTs
- Denial of service
- DDOS attack

4. CCTNS - Crime and Criminal Tracking Network & Systems

- Knowledge of Integrated Investigation Forms (IIF), Rojnamcha Aam (General Diary), Case Diary and Crime Digest in CCTNS.
- IIF1 First Information Report
- IIF2 Crime Detail Form (Naksha Mauka etc.)
- IIF3 Arrest/ Surrender Form
- IIF4 Property Search and Seizure Form
- IIF5 Final Report Form (FR/Chargesheet)
- IIF6 Court Disposal Form
- IIF7 Appeal Form

ICJS: Interoperable Criminal Justice System

5. Various applications used in Rajasthan police :

- Citizen Services
- RAJASTHAN POLICE WEB PORTAL
- CHILD TRACKING WEBPORTAL
- ADVANCED ANALYTICS
- RAJKAJ
- LITES
- Pay manager
- Dreams
- SSO Portal
- Sampark Portal
- NAFIS

6. Mobile App used in Rajasthan Police:

- RAJCOP including Communication Platform email (Rajmail), Instant Messenger (sandesh wahak), Digital Radio (Police Radio)
- RAJCOP CITIZEN
- ERSS-112
- SENIOR CITIZEN
- RajLMS
- Advance Analytics

7. Wireless and Mobile Communication:

- VHF and UHF communication used in Rajasthan Police
- Basic concept of Radio Trunking System
- Basic concept of Digital Mobile Radios(DMR) Tear II, Tear III etc
- Introduction to cellular mobile communication, concept of MSC and BTS
- Generations of cellular network i.e. 2G, 3G ,4G, and 5G Technology

8. Role as First responder & handling digital devices

हैड कानिस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक

आउटडोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र संख्या	विषय	पूर्णांक	कुल कालांश	विषयानुगत अंक	विषयानुगत कालांश
	कुल	300	69		
1	शारीरिक प्रशिक्षण	100	23		
	क – पी.टी. (निर्देशात्मक योग्यता पर ज्यादा बल)	—	—	50	08
	ख – योगासन, प्राणायाम	—	—	20	06
	ग – यू.ए.सी	—	—	20	05
	ग – रोड़वॉक एण्ड रन पुरुष (02 किलोमीटर) महिला (01 किलोमीटर) 12 मिनट तक 10 अंक 10 मिनट तक 10 अंक 13 मिनट तक 08 अंक 11 मिनट तक 08 अंक 14 मिनट तक 06 अंक 12 मिनट तक 06 अंक	—	—	10	04
2	ड्रिल, टेक्टिस ऑपरेशन एवं भीड़ नियंत्रण	100	23		
	क – ड्रिल एवं टेक्टिस ऑपरेशन	50	16	—	—
	क – टर्न आउट	—	—	05	—
	ख – खाली हाथ ड्रिल	—	—	15	06
	ग – शस्त्र सहित ड्रिल, गार्ड ड्यूटी,	—	—	15	06
	घ – पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, अम्बूश, कोम्बिंग, घेराबंदी, सर्च, कॉडर्न एण्ड सर्च	—	—	15	04
	ख – पुलिस ट्रेनिंग व भीड़ नियंत्रण	50	07	—	—
	क – लाठी ड्रिल	—	—	09	02
	ख – यातायात नियंत्रण	—	—	06	02
	ग – निर्देशात्मक योग्यता	—	—	10	—
	घ – बलवा परेड़	—	—	10	01
	ड – भीड़ नियंत्रण एवं भीड़ प्रबंधन	—	—	10	01
	च – रेस्क्यू, साल्वेज एवं प्राथमिक चिकित्सा	—	—	05	01

3	शस्त्र प्रशिक्षण , मस्केट्री,	100	23	—	—
	A पुलिस शस्त्रों का ज्ञान	25	14	—	—
	1. समस्त प्रकार की राईफलों का ज्ञान	—	—	08	06
	2 9 एम.एम पिस्टल, ग्लोक पिस्टल	—	—	04	02
	3 एल.एम.जी व एस.एल.आर/इन्सास	—	—	04	02
	4 9 एम.एम कार्बाइन	—	—	04	02
	5 गैस गन एवं गैस म्यूनेशन व वज्र वाहन	—	—	03	01
	6 विस्फोटको के प्रकार, बम कैसे बनाया जाता है (बम के घटक), बम और आई. ई.डी. में अन्तर, बम लॉस्ट की क्रिया विधि/विस्फोटक डिवाइस/ विस्फोटक नमूने, आई.ई.डी.।			02	01
	B मस्केट्री व फायरिंग	75	09	—	—
	1 7.62 एम.एम एस.एल.आर	—	—	35	04
	I ग्रुपिंग 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशन टारगेट 4x4	—	—	15	—
	II एप्लीकेशन 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशन टारगेट 4x4	—	—	10	—
	III स्नेप शूटिंग 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशन टारगेट 4x4	—	—	10	—
	2 9 एम.एम पिस्टल	—	—	20	03
	I एप्लीकेशन 10 गज 5 राउण्ड बैटल क्राउच पोजीशन टारगेट फिगर— 11	—	—	10	02
	II एप्लीकेशन 20 गज 5 राउण्ड स्टेण्डिंग पोजीशन टारगेट फिगर— 11				
	3 9 एम.एम कार्बाइन			20	02
	I एप्लीकेशन 10 गज 5 राउण्ड बैटल क्राउच पोजीशन टारगेट फिगर—11	—	—	10	—
	II एप्लीकेशन 25 गज 5 राउण्ड स्टेण्डिंग पोजीशन टारगेट फिगर—11	—	—	10	—

मस्केट्री फायरिंग अंक विवरण :-

1. 7.62 एम.एम एस.एल.आर

ग्रुपिंग	1''-4''	5''	6''	7''-8	9''-10''	11'-12''
अंक	15	13	12	10	09	08
एप्लीकेशन	बुल			इनर	मेकपाई	आउटर
अंक	02			1.5	01	.5

2. स्नैप शूटिंग प्रत्येक हिट पर 2 अंक

नोट:-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मोड्यूल का क्रम वार प्रशिक्षण दिया जायेगा यथा मॉड्यूल एक से आरम्भ कर उसके पूर्ण होने पर माड्यूल नं० दो एवं तत्पश्चात् क्रम वार पूर्ण होने तक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश :-

1. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) में प्रत्येक प्रश्न में 45 प्रतिशत अंक और कुल आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) के प्रश्न पत्रों का योग का 50 प्रतिशत (एग्रीगेट) अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है।
2. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) एवं निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट द्वारा प्रदत्त (आन्तरिक मूल्यांकन) अंको के योग का 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है।
3. समस्त आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) मस्केट्री एवं फायरिंग को छोड़कर बोर्ड द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग की परीक्षा निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत पुलिस अधिकारियों द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग परीक्षा की अंक तालिका बोर्ड के अध्यक्ष को तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जावेगी।
4. अन्तिम परीक्षा हेतु बोर्ड का गठन प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किया जावेगा। बोर्ड अध्यक्ष पदोन्नति परीक्षा के लिए आयोजित चयन परीक्षा के बोर्ड के अध्यक्ष के पद से कम नहीं होगा।
5. अन्तिम परीक्षा में बोर्ड निम्नानुसार होगा :-

1. महानिरीक्षक पुलिस	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3- कमाण्डेण्ट/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	सदस्य सचिव